

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं— 02ए/2018

संस्थित दिनांक— 07.02.2015

01:— जहेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति ठाकुर उम्र 52 साल

..... फौत

01 (1) बेबीराजा पत्नी स्व0 जहेन्द्र सिंह बुन्देला उम्र 51 साल,

01 (2) शिवप्रताप सिंह पुत्र स्व0 जहेन्द्र सिंह बुन्देला उम्र 23 साल,

01 (3) रुड प्रताप नाबालिग पुत्र स्व0 जहेन्द्र सिंह बुन्देला उम्र 17 संरक्षक मां बेबीराजा पत्नी जहेन्द्र सिंह बुन्देला निवासी ग्राम नानौन नवीन तहसील पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

02:— नरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर उम्र 48 साल,

03:— योतेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर उम्र 46 साल,

04:— सुरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर उम्र 60 साल,

05:— गजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह ठाकुर उम्र 63 साल,

06:— लोकेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह ठाकुर उम्र 43 साल पेशा सभी का खेती निवासीगण ग्राम नानोन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....वादीगण

विरुद्ध

01:— गोपी पुत्र निरपत जाति लोधी उम्र 63 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौनी तहसील चंदेरी,

02:— गजराम पुत्र गोपी जाति लोधी आयु 43 साल पेशा खेती निवासी ग्राम नानौनी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

03:— मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

// निर्णय //**:: आज दिनांक 27.04.2018 को पारित ::**

01:—यह वाद ग्राम नानौन तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 16, सर्वे क्रमांक 18/18/1/1/4, 18/18/1/3, 18/18/1/2/3, 18/18/1/1, 18/18/2/1, 96, सर्वे क्र० 97/3, 97/2/3, 98/03, 98/02/03, 99/2, 102/3, जिन्हें निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भूमियों के नाम से संबंधित किया जा रहा है, पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादीगण के हस्तक्षेप को रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता सहित 20,000/— रुपये क्षतिपूर्ति अंतरलाभ धन दिलाये जाने की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

02:—दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमियां वादीगण के स्वामित्व अधिपत्य की भूमियां हैं, जो काबिल कास्त भूमियां हैं तथा जिन पर प्रतिवर्ष फसल पैदा होती है। वर्ष 2014 में वादीगण ने उपरोक्त भूमियों पर गेहूँ और चने की फसल बोई थी। प्रतिवादीगण के पास चार नग घोड़ा-घोड़ी जानवर हैं, जिन्हें वह प्रतिवर्ष खुला छोड़ देते हैं, जो वादीगण की सफल बर्बाद कर देते हैं और वादीगण के रोकने पर झगड़े पर आमदा हो जाते हैं। वर्ष 2014 में प्रतिवादीगण ने अपने घोड़ा घोड़ी से विवादित भूमियों पर वादीगण की फसल लगभग 08-10 क्विंटल गेहूँ और चना चरवा कर वादीगण को 20,000/— का नुकसान कारित किया। वाद कारण दिनांक-23.01.2014 को चंदेरी में उत्पन्न हुआ वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों पर जाकर 08-10 क्विंटल गेहूँ और चना की फसल का लगभग 20,000/— रुपये का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। उक्त दिनांक को ही चौकी विक्रमपुर में वादीगण के द्वारा रिपोर्ट भी की गई, जहां से न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने की समझाईश दी जाने के बाद यह दावा 20,000/— रुपये पर मूल्यांकन करके 600/— न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक-01 में वांछित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।

03:—प्रतिवादी क्रमांक-01 व 02 की ओर से दावे के सभी अभिवचनों को स्वीकार करते हुये अपने जबाब में व्यक्त किया है कि विवादित भूमियों वादीगण के स्वत्व व स्वामित्व की नहीं है कि वादीगण अपनी ताकत के बल पर प्रतिवादीगण से पैसे ऐठना चाहते हैं। प्रतिवादीगण के जानवरों ने वादीगण की कोई फसल का नुकसान नहीं किया। वादीगण के द्वारा फर्जी पंचनामा बनाया गया है। वादीगण के द्वारा झूठी रिपोर्ट थाना चंदेरी में की गई है। वादीगण के द्वारा अपूर्ण न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है, इस कारण वाद प्रचलन योग्य नहीं है। अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने की सहायता चाही है।

04:—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01:—	क्या ग्राम नानौन तहसील चंदेरी में स्थित	

	भूमि सर्वे क्रमांक 16 रकबा 2.916 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 96, 99/2, 18/18/1/1/4, सर्वे क्रमांक 18/18/1/3 रकबा 1.045 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 97/3, 98/3, 102/3, 18/18/1/2/3 रकबा 1.437 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 97/2/3, 98/2/3, 18/18/1/1 रकबा 1.145 हैक्टेयर सर्वे क्रमांक 18/18/2/1 रकबा 0.507 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 02 द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
02:—	क्या वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 02 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
03:—	क्या वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 02 से 20,000/— रुपये क्षतिपूर्ति अर्तलाभधन प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
04:—	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन किया जाकर उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
05:—	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय के चरण क्र0 17 अनुसार प्रदान की गई।

—ःसकारण निष्कर्षः—

वाद प्रश्न क्रमांक—01, 02 व 03 का विवेचन एवं निष्कर्षः—

- 05:— वादीगण के अभिवचनों के आधार पर निर्मित होने के कारण इस वाद प्रश्न को साबित करने का भार वादीगण पर है। गजेन्द्र सिंह (वा0सा0—01) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि ग्राम नानौन तहसील चंदेरी स्थित विवादित भूमियां वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमियां हैं, जिस पर बटा अंकित हो चुका है तथा अपने सभी लोग अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। गजेन्द्र सिंह (वा0सा0—01) के अनुसार वर्ष 2014 में विवादित भूमि पर उनकी गेहूँ और चने की फसल थीं, जिसमें प्रतिवादीगण ने अपने जानवर घोडा घोडी को छोड़कर फसल चरवा दी थी, जिससे आठ से दस क्विंटल गेहूँ व चने की फसल बर्बाद हो गई थी और

वादीगण को बीस हजार रुपये का नुकसान भी हो गया था।

06:— गजेन्द्र सिंह (वा0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त सशपथ कथन साक्षी मरदन सिंह (वा0सा0-02) व सुरेश (वा0सा0-03) के कथनों से समर्थित है, जिसमें इन दोनों ही साक्षियों ने विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होना तथा उक्त भूमि पर वर्ष-2014 में वादीगण की गेहूँ और चने की फसल को प्रतिवादी गोपी के द्वारा अपने घोड़ा-घोड़ी से चरवा कर वादीगण को 20,000/- रुपये का नुकसान कारित किये जाने के संबंध में कथन न्यायालय में दिये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से हालांकि अपने अभिवचनों में विवादित भूमियां वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की होने से इन्कार किया है, परन्तु प्रतिवादी साक्षी गोपीराम (प्र0सा0-01) गनेशराम (प्र0सा0-01) व ओमकार सिंह (प्र0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ कथनों में वादीगण के उपरोक्त विवादित भूमियों में स्वत्व व अधिपत्य होने के संबंध में दिये गये कथनों को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

07:—विवादित भूमियों पर वादीगण का पृथक पृथक स्वत्व व अधिपत्य है तथा वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, इस संबंध में दिये गई मौखिक साक्ष्य को साबित करने के लिये वादीगण की ओर से विवादित भूमि के संबंध में खसरा संबन्ध-2067-71 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-02 लगायत 07 प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण का अपने अभिवचनों में यह कहना है कि विवादित भूमि उनके स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है तथा न्यायालीन कथनों में गजेन्द्र सिंह (वा0सा0-01) के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमियों पर वादीगण बटा अंकित हो चुका है और वह लोग अपने अपने भाग पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र (वा0सा0-01) सहित मरदन सिंह (वा0सा0-02) व सुरेश (वा0सा0-03) में से किसी भी साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमियों में से किस भूमि पर कौन सा व्यक्ति काबिज है। गजेन्द्र सिंह (वा0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में यह बताने की स्थिति नहीं है कि कुल कितने सर्वे नंबरों का विवाद हैं तथा किन भूमियों पर कितनी फसल का नुकसान हुआ है।

08:— वादीगण की ओर से विवादित भूमियों पर अपने स्वामित्व का कोई ठोस प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहीं संबन्ध 2067-71 के तक के खसरें भी दावे में दर्शाये गई सभी विवादित भूमियों के संबंध में स्पष्ट नहीं है। दावे में सर्वे क्रमांक 18/18/01/01/04, सर्वे क्रमांक 18/18/01/03, सर्वे क्रमांक 18/18/01/02/03, सर्वे क्रमांक 18/18/01/01, सर्वे क्रमांक 18/18/02/01 का उल्लेख क्रमशः वादी जहेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र, लोकेन्द्र व धर्मेन्द्र की भूमियों बताते हुये, अभिवचन किये गये हैं, परन्तु उक्त भूमियों के स्वामित्व एवं अधिपत्य के कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये।

- 09:— यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत खसरा पंचशाला प्रदर्श पी-04 में सर्वे क्रमांक-98/02/04 के समक्ष संख्या क्रमांक-18/18/01/01/04 का उल्लेख है एवं प्रदर्श पी-05 में सर्वे क्रमांक-98/02/03 के समक्ष सर्वे क्रमांक-18/18/01/02/03 का उल्लेख है, वहीं प्रदर्श पी-05 में ही 98/01 के समक्ष 18/18/01/01 का उल्लेख है, परन्तु सर्वे क्रमांक-98/02/04 सर्वे क्रमांक-18/18/01/01/04 में एवं सर्वे क्रमांक-98/02/03 सर्वे क्रमांक-18/18/01/02/03 में एवं सर्वे क्रमांक-98/01 सर्वे क्रमांक-18/18/01/01 में परिवर्तित हुआ, इसके संबंध में न तो कोई अभिवचन है और न ही कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई। सर्वे क्रमांक-18/18/02/01 के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। वादीगण की ओर से सर्वे क्रमांक 18 व 97, 98 को प्रकरण में पृथक-पृथक विवादित भूमियों के रूप में दर्शाया गया है तथा इस संबंध में कोई अभिवचन नहीं किये हैं कि उपरोक्त भूमियों के यदि नंबर परिवर्तित हो गये थे, तो क्या परिवर्तन हुआ था एवं इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 10:— वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला प्रदर्श पी-04 में सर्वे क्रमांक-98/03 के समक्ष संख्या क्रमांक-18/18/01/03 है, वहीं प्रदर्श पी-05 में भी सर्वे क्रमांक-97/03 के समक्ष संख्या 18/18/01/03 अतः सर्वे क्रमांक-18/18/01/03 वास्तव में सर्वे क्रमांक-98/03 का परिवर्तित नंबर है या सर्वे क्रमांक-97/03 का परिवर्तित नंबर है, इस संबंध में राजस्व अभिलेख स्पष्ट नहीं है। सर्वे क्रमांक-102/03 वादी नरेन्द्र के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि होना अभिवचनाओं में बताई गई है, परन्तु इसको साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। यहां तक वादीगण के द्वारा जिन भूमियों पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य होने के संबंध में अभिवचन किये गये हैं, उन पर वर्तमान पर उनका स्वामित्व व आधिपत्य है इसको साबित करने के लिये न तो स्वत्व का कोई प्रमाण पेश किया है और न ही वर्तमान के राजस्व खसरे प्रस्तुत किये गये हैं।
- 11:— वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व संबत्-2067-71 के हैं, जो कि वर्ष-2010-11 से 2014-15 की स्थिति स्पष्ट करते हैं तथा उन दस्तावेजों में भी विवादित भूमियों का स्पष्ट विवरण या भूमियों का परिवर्तन होने की कोई ठोस प्रविष्टि नहीं है। वर्तमान में विवादित भूमियों का क्या स्थिति है, यह साबित करने के लिये वादीगण की ओर से कोई राजस्व अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया। निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के विवादित आधिपत्य के स्वत्व व अधिपत्य को चुनौती दिये जाने के बाद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, परन्तु वादीगण के अभिवचनाओं पर निर्मित होने के कारण इस वाद प्रश्न को साबित करने का भार वादीगण पर है। अभिलेख पर ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई, जो निरन्तर विवाद के दिनांक से वर्तमान तक विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वत्व व आधिपत्य होना प्रमाणित करती हो, मात्र संबत्-2067-71 के अस्पष्ट राजस्व खसराओं के आधार पर वर्तमान में वादीगण का विवादित भूमियां पर स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित नहीं होता है।

- 12:— वादीगण ने अपने अभिवचनों में तथा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की कौन सी भूमि हैं, तथा प्रतिवादीगण के घोडा-घोड़ी के द्वारा किस सर्वे क्रमांक में कितना नुकसान किसको कारित किया गया, जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्षी गनेशराम (प्र0सा0-01) एवं ओमकार सिंह (प्र0सा0-02) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट कथन दिये हैं कि उनके घोडा-घोड़ियों ने कोई नुकसान नहीं किया है, बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का चुनाव विवाद है, इस कारण से यह दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्शित कराये गये पंचनामा प्रदर्श डी-01 में भी भूमियों के सर्वे क्रमांक का उल्लेख नहीं है, जिसे गजेन्द्र (वा0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-08 में स्वीकार किया है।
- 13:— वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट में भी सर्वे क्रमांकों का कोई उल्लेख नहीं है तथा 20,000/- का नुकसानी का आंकलन किस आधार पर वादीगण के द्वारा किया गया, यह भी वादीगण प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं कर सके। स्वयं वादी साक्षी सुरेश (प्र0सा0-03) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-09 में यह व्यक्त किया है कि प्रदर्श डी-01 में नुकसानी का उल्लेख अन्दाजे से किया गया है। वहीं गजेन्द्र (वा0सा0-01) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-14 में यह कहना है कि घोडा की लीद खेतों में पड़ी है इस आधार पर कह रहा है कि घोडा-घोड़ियों ने नुकसान किया है। अतः घोडा की लीद खेतों में पड़ी देखकर यह अनुमान लगाना कि उक्त लीद प्रतिवादीगण के घोडों की है, हास्यास्पद है।
- 14:— विवादित भूमियों पर स्पष्ट तौर पर वर्तमान पर वादीगण का स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य है, यह वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, वहीं विवादित भूमियों में से किस वादी की कितनी भूमि में कितना नुकसान किसके जानवरों के द्वारा कारित किया गया, इस आशय की भी कोई स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य वादीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वास्तव में प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जानवरों से वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में 20,000/- रुपये की राशि का नुकसान कारित किया गया, इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि ग्राम नानौन तहसील चंदेरी स्थिति विवादित भूमियों पर वादीगण के आधिपत्य की भूमियों तथा उक्त भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक-01 व 02 द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है और विवादित भूमियां यदि वादीगण की वर्तमान में अधिपत्य में होना एवं उस पर प्रतिवादीगण का हस्तक्षेप किया जाना ही प्रमाणित नहीं है, तो वहां वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रखता है और न ही वादीगण प्रतिवादीगण से 20,000/- का क्षतिपूर्ति अंतर्लाभ धन प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-01, 02 व 03 का प्रमाणित न होने से इसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

15:— यह वाद विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाहने बाबत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दावे का मूल्यांकन 20,000/— रुपये पर करके कुल 600/— रुपये न्यायशुल्क वादीगण के द्वारा अदा किया गया है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के अपने अभिवचनों में आपत्ति है कि वादीगण ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है। वादीगण के द्वारा दावे में मुख्य सहायता स्थाई निषेधाज्ञा की चाही गई है, जिसके लिये वादीगण को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) D के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा उक्त न्यायशुल्क की गणना के लिये वादी ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करने के लिये स्वतंत्र था। वादीगण को ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना था, जो कि उसके द्वारा 20,000/— रुपये किया गया है। अतः स्पष्ट है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन उचित किया है। देखा यह जाना है कि वास्तव में वादी के द्वारा पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है अथवा नहीं।

16:— वादी के द्वारा वाद मूल्य 20,000/— रुपये पर कायम किया गया, उक्त राशि वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-08 के अनुसार न्यायशुल्क की गणना के लिये ईप्सित अनुतोष की राशि के रूप में ली जावेगी। अतः दावे में चाही गई सहायता के लिये वादी को 20,000/— रुपये पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क प्रस्तुत करना था, जो कि 12 प्रतिशत की दर से 2,400/— रुपये होता है, जबकि वादी के द्वारा मात्र 600/— रुपये न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है, वहीं वादी के द्वारा 20,000/— क्षतिपूर्ति अंतर्लाभ धन दिलाये जाने की भी सहायता चाही है, जिस पर वादी के द्वारा कोई न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वादी ने वाद का मूल्यांकन तो उचित किया है, परन्तु उक्त मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) D एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-08 के अनुसार न्यायशुल्क अदा न करके अपूर्ण न्यायशुल्क अदा किया गया है। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक-04 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

वाद प्रश्न क्रमांक-5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**सहायता एवं वाद व्यय—**

17:— वादीगण अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार विवादित भूमियों पर अपना स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित नहीं कर सके, वहीं यह प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमियों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है एवं उनके द्वारा जानवरों से विवादित भूमियों की फसल को कोई नुकसान कारित किया है। वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है, जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.